

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक: 45464 /ग्रेओसेल एवं बीमा/2017-18 दिनांक : 22.11.2017

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

आवश्यक/महत्वपूर्ण

विषय- 'ग्रुप इन्श्योरेंस' एवं 'ग्रुप पेंशन' योजना के सम्बन्ध में।

प्रधान कार्यालय के पत्रांक 45078/ग्रेओसेल एवं बीमा/2017-18 दिनांक 05.09.17 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से ली जाने वाली 'ग्रुप इन्श्योरेंस' एवं 'ग्रुप पेंशन' योजना की सदस्यता हेतु दिनांक 15.09.17 तक असहमति प्रेषित करने के लिये अंतिम अवसर दिया गया था इसके बावजूद कतिपय शाखाओं द्वारा दिनांक 15.09.17 के पश्चात उक्त योजना हेतु बैंक कार्मिकों के असहमति पत्र प्रेषित किये गये हैं जो मान्य नहीं हैं।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त सहमत कर्मचारियों/अधिकारियों के माह नवम्बर 2017 के वेतन से नियमानुसार मासिक अंशदान की कटौती कर कटौती का विवरण पत्र विलम्बतम दिनांक 07.12.17 तक प्रत्येक दशा में प्रधान कार्यालय के ग्रेचुटी अनुभाग को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति की दशा में उसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

ह0/-

(के0 पी0 सिंह)

प्रबंध निदेशक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अधिकारी/मण्डल प्रभारी उ0प्र0 सह0 ग्राम विकास बैंक लि0 प्र0का0 लखनऊ।
2. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर), उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ को उपरोक्त पत्रोंक को समस्त शाखाओं हेतु ई-मेल करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड

ह0/-

(अजय पाल सिंह)

महाप्रबंधक (ग्रेचुटी)

